

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई.एण्ड टी डब्ल्यू)

क्र.जे.पी.डी/उपमु.अ.(आर.ई)/अ.अ (आर.ई.एण्ड टी डब्ल्यू)/प.1201/प्रे 861 दिनांक 18.5.10


आदेश

विषय :- प्राथमिकता वाले कृषि कनेक्शन आवेदकों को मांग पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

निगम से जारी आदेश क्रमांक 3170 दिनांक 29.10.2009 (आर.ई.ओ. 208) में यह निर्णय लिया गया था की तुरंत प्राथमिकता एवं 3 वर्ष की प्राथमिकता वाले आवेदकों जिन्होंने 31.03.2009 तक आवेदन कर दिया था को मांग पत्र प्राथमिकता के अनुसार जारी किया जावे ।

निगम से जारी आदेश क्रमांक 4223 दिनांक 06.01.2010 (आर.ई.ओ. 209) में द्वितीय चरण के मांग पत्र तुरंत प्रभाव से जारी करने का निर्णय लिया गया ।

इस सम्बन्ध में फिल्ड अधिकारियों द्वारा यह स्पष्टिकरण चाहा जा रहा है की तुरंत प्राथमिकता वाले एवं 3 वर्ष की प्राथमिकता वाले आवेदकों के मांग पत्र जारी किये जावे अथवा नहीं । अतः इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि तुरंत प्राथमिकता एवं 3 वर्ष की प्राथमिकता वाले आवेदकों के मांग पत्र जारी करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।


(**ए.के. शर्मा**)
उप मुख्य अभियन्ता (आर.ई)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-उर्जा सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
- 2-प्रबन्ध निदेशक,अजमेर विद्युत वितरण निगम लि,अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम I. जोधपुर को उक्त प्रकार के आदेश जारी करने हेतु ।
- 3-निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 4-मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
- 5-मुख्य अभियन्ता (पवस) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर